"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 510 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर 2014— आश्विन 8, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2014

### अधिसूचना

क्रमांक 1595/1027/आठ-परि./2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (5) में, अंक एवं शब्द "85 प्रतिशत" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "100 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (6) में, शब्द, कोष्टक एवं अंक "15 प्रतिशत (सभी अराजपत्रित)" को विलोपित किया जाये.

3. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (5) में, अंक एवं शब्द "15 प्रतिशत" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "30 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये.

4. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (6) में, शब्द, कोष्टक एवं अंक "15 प्रतिशत (सभी गैर-तकनीकी) पुलिस विभाग से स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा" को विलोपित किया जाये.

5. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (5) में, शब्द एवं चिन्ह "अनिवार्य अर्हता :-" को विलोपित किया जाये.

6. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (5) में, शब्द "अनिवार्य अर्हता :-" को विलोपित किया जाये.

No. 1595/1027/viii-Trans/2014.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Transport Department Sub-ordinate, Class-III (Executive) Service Recruitment and Condition of Service Rules, 2008, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In column (5) of Serial Number 2 of Schedule-II, for the figure and symbol "85%", the figure "100%" shall be substituted.

2. In column (6) of Serial Number 2 of Schedule-II, the words, parentheses and figure "15% (All Non-Gazetted)" shall stand omitted.

3. In column (5) of Serial Number 3 of Schedule-II, for the figure and symbol "15%", the figure and symbol "30%" shall be substituted.

4. In column (6) of Serial Number 3 of Schedule-II, the words, parentheses and figure "15% (All Non-Technical) by transfer or deputation from Police Department" shall stand omitted.

5. In column (5) of Serial Number 1 of Schedule-III, the words and Symbol "Compulsory Qualification :-" shall stand omitted.

6. In column (5) of Serial Number 2 of Schedule-III, the words, and Symbol "Compulsory Qualification :-" shall stand omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.